संचिका सं0–03/स्था0–18 (वर्ग–03)–11/2020 292

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोरख नाथ (भा0प्र0से0),
अपर सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
सहरसा/गया/बिहारशरीफ/दरभंगा/औरंगाबाद।

मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, वीरपुर/पटना।

मुख्य अभियंता,
यांत्रिक/वाल्मी/केन्द्रीय रूपांकण,
शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना।

पटना, दिनांकः– 14.2.2020

विषयः– **परिक्षेत्राधीन 03 (तीन) वर्ष से अधिक एक स्थान पर पदस्थापित वर्ग–3 के कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि स्थानांतरण–पदस्थापन का यह स्पष्ट नियम है कि वर्ग–3 के कर्मियों को किसी भी पद पर तीन वर्ष से अधिक अवधि तक न रखा जाय तथा उन्हें गृह जिला में न पदस्थापित किया जाय। प्राप्त विभिन्न परिवादों से यह स्पष्ट हो रहा है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग–03 के कर्मी एक ही स्थान पर तीन वर्ष या तीन वर्षो से अधिक समय से पदस्थापित है।

2. उक्त स्थिति में वर्ग–3 के कर्मियों का स्थानीय निवासियों, संवेदक एवं अन्य लोगों के साथ साँठ–गाँठ बढ़ जाती है जिस कारणवश जहां एक ओर वहां पदस्थापित अभियंताओं को कार्य करने में कठिनाई होती है वही दुसरी ओर सरकार के द्वारा स्थापित नियमों का उलंघन भी होता है।

3. इस संबंध में अनुरोध है कि अपने परिक्षेत्राधीन कार्यालयवार तीन वर्ष या तीन वर्षो से अधिक समय से पदस्थापित कर्मियों को चिन्हित किया जाय तथा विहित प्रपत्र में कार्यालय का नाम, पदस्थापित कर्मी का नाम, पदनाम, पदस्थापन स्थान, पदस्थापन की तिथि, पूर्व पदस्थापित स्थान आदि अंकित करते हुए उसकी सूचना एक पक्ष के अन्तर्गत निश्चितरूपेण भेजी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(गोरख नाथ)
अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 292 पटना, दिनांक- 14.2.2020

प्रतिलिपि:- विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0 मैंनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित।

14/2/2020

(गोरख नाथ)
अपर सचिव।